

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा— प्रदेश में पीपीपी मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाएगी सरकार।
- विधानसभा के मॉनसून सत्र में अधिकांश सवालों के जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने जताई नराजगी—महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बचने का सरकार पर लगाया आरोप।
- भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित।
- राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पैंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में पी.पी.पी व ई.ए.पी मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाने के लिए सरकार तैयार है और इसमें निजी निवेशकों का स्वागत किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक संजय अवस्थी के मूल सवाल और विधायक हंसराज, राकेश कालिया, केवल सिंह पठानिया व सुधीर शर्मा के रोपवे संबंधी अनुपूरक सवालों के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजनाओं की लागत अधिक होने के कारण कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में रोपवे लगाने के लिए टेंडर के आकलन में इसकी लागत करीब 27 सौ करोड़ रुपये आई और अधिक लागत के कारण इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है, जिसमें रोपवे के पीपीपी मोड की अवधि 30 से 35 साल तक सीमित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करीब एक हजार 2 सौ करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है और निजी निवेशकों को शिमला आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि रोपवे के माध्यम से प्रदेश के उन क्षेत्रों को जोड़ा जाए, जहां अभी पहुंच सीमित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुनिया के कई हिस्सों की तुलना में बड़ा स्नोबाउंड क्षेत्र है और यदि वन संरक्षण अधिनियम यानी एफसीए की मंजूरी के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है तो सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करेगी। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण और मदद से प्रदेश में कोई रोपवे परियोजना स्वीकृत या निर्माणाधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीपीपी मोड के तहत छह रोपवे परियोजनाएं हैं। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस वर्ष एक अगस्त तक खनन विभाग ने अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन के कुल 13 हजार 82 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 10 हजार एक सौ 52 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8 करोड़ 79 लाख 25 हजार 7 सौ 70 रुपये की राशि वसूल की गई है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि कसौली में जायका प्रोजेक्ट के तहत चल रही 6 सिंचाई योजनाओं के काम में कमी पाए जाने पर जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सत्र

प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार से अधिकांश सवालों के जवाब नहीं मिलने पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने नाराजगी जताई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बच रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता—

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब न मिलने पर विपक्ष के विधायक नाराज दिखे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और विपिन परमार द्वारा राज्य चयन आयोग से जुड़े सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि इस सवाल से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर सुधीर शर्मा ने कहा कि यह सवाल पिछले तीन सत्रों से लगाया जा रहा है और हर बार जवाब में यही कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। भाजपा विधायक विपिन परमार ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य चयन आयोग बनने से पहले कई धांधलियां हुई थीं। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकारी इस साल दिसंबर में होने वाले अगले सत्र या अगले साल मार्च में होने वाले बजट सत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री की ओर से पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में किए गए शिलान्यास और उद्घाटनों से जुड़ा सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में भी सरकार की ओर से कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने कहा कि सवाल में मुख्यमंत्री के पद संभालने के बाद से अब तक किए गए शिलान्यास और उद्घाटनों की संख्या पूछी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की हर गतिविधि और यात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसके बावजूद जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोई तथ्य या सूचना नहीं छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई भवनों का निर्माण अभी चल रहा है और इस सवाल से जुड़ी पूरी जानकारी मार्च 2027 में उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने जहां पूर्व भाजपा सरकार की तुलना में अधिक नौकरियां दी वहीं बजट का प्रावधान करते हुए अधिक शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

विधेयक

विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दल भाजपा ने इसे विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता में दखल बताते हुए इसका विरोध किया जबकि सरकार ने कहा कि संशोधन से भर्ती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ युवाओं को मेरिट आधार पर अवसर मिलेंगे। प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय इस संशोधन विधेयक के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संशोधन से विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायक आचार्य की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी जबकि सह आचार्य और आचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करेगा।

जयराम ठाकुर

प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने के फैसले के खिलाफ आज भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का ये फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर राजस्व के नाम पर नए कर लगा रही हैं और अब लॉटरी भी शुरू कर दी है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया किया कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के कर्मचारी और पेंशनर प्रतिदिन धरने पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कारगुजारी और नीतियों से हर वर्ग निराश है।

बिजली बोर्ड

राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी इससे वंचित हैं। हीरालाल वर्मा ने बिजली बोर्ड में खाली पड़े पदों को भरने की भी सरकार से मांग की।

सुनील शर्मा बिट्टू

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने जनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर जिला की नैरी पंचायत के कमलाह गांव का आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं व क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों से विचार-विमर्श किया। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कमलाह की संचाई परियोजना के तहत चैंबर बनाए जाएंगे और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद गांव के लिंक रोड़ को फोरलेन हाइवे से जोड़ने का कार्य आरंभ किया जाएगा। इस बीच सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर की प्रसिद्ध संस्था धर्मार्थ रोगी सेवा संस्था की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि अपने सराहनीय कार्यों से संस्था ने केवल हमीरपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा— प्रदेश में पीपीपी मोड पर रोपवे परियोजनाएं बनाएगी सरकार।
- विधानसभा के मॉनसून सत्र में अधिकांश सवालों के जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने जताई नराजगी—महत्वपूर्ण जानकारियां देने से बचने का सरकार पर लगाया आरोप।
- भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित।
- राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों व पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में किया प्रदर्शन।